DEPARTMENT OF EDUCATION

B S N V P G COLLEGE

Charbagh, Lucknow

B A SEM- (II)

PAPER-II (History of Indian Education;post independence)

Name of the Teacher- Manjul Trivedi

unit-(III) Lecture -2 **Reading time-50 min.**

इस लिखित लेक्चर के माध्यम से हम-

1-माध्यमिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझ सकेंगे।

2-मध्यमिक शिक्षा के सम्बंध में विभिन्न आयोगों/समितियों के सुझावों को जान सकेंगे।

3- माध्यमिक शिक्षा का मूल्यांकन कर सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास क्रम

माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा आधुनिक युग की अवधारणाएं हैं। भारत में शिक्षा के इतिहास के प्रारंभिक युग वैदिक काल एवं बौद्ध काल तत्पश्चात मुस्लिम काल में इस प्रकार के विद्यालय एवं शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सामान्यतः शिक्षा को प्राथमिक तथा उच्च दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के विकास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं-

पहला स्वतंत्रता से पूर्व माध्यमिक शिक्षा

दूसरा-स्वतंत्रता पश्चात माध्यमिक शिक्षा।

I-स्वतंत्रता से पूर्व माध्यमिक शिक्षा-

भारत में माध्यमिक शिक्षा के सूत्रपात का श्रेय यूरोपीय मिशनरियों- पुर्तगाली, फ्रांसीसी डच, ब्रिटिश, डेन आदि को प्राप्त है। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के कुछ भागों में माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की। उदाहरणतया भारतीय कर्मचारियों के बच्चों को फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए फ्रांसीसी मिशनरियों ने पांडिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। इन मिशनरियों से प्रेरणा प्राप्त करके 19वीं शताब्दी में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया।

स्वतंत्रता पूर्व की माध्यमिक शिक्षा के विकास क्रम को समझने के लिए हम इस काल को पुनः दो भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं।

1- माध्यमिक शिक्षा का प्रसार काल (1854 से 1917)

2-माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन और प्रसार काल (1917 से 1947)

A-**माध्यमिक शिक्षा का प्रसार काल 1854 से 1917-**

यह अवधि माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रारंभिक समय था। सन 1854 से 1917 तक की अवधि में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का विकास में निम्नलिखित आयोगों एवं अधिनियम के योगदान की चर्चा की जा सकती है।

1- **1854 का वुड का घोषणा पत्र-**

वुड के इस आदेश पत्र में माध्यमिक शिक्षा के विकास से संबंधित प्रमुख बातें इस प्रकार थी- विद्यालयों और विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए अनुदान प्रणाली प्रारंभ की जाए इस सुझाव से माध्यमिक विद्यालयों को सर्वाधिक लाभ हुआ और नवीन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला इस आज्ञा पत्र से 1857 में मद्रास,मुंबई और कलकत्ता में तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और इन्हें मैट्रिकुलेशन परीक्षा लेने का अधिकार दिया गया। इस कारण माध्यमिक शिक्षा पर विश्वविद्यालयों का पूर्ण अधिपत्य हो गया और वे अपने हितों को ध्यान में रखकर माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम, शिक्षा के माध्यम आदि के संबंध में नीति का निर्धारण करने लगे।

2-1882 का हंटर आयोग-

हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के अत्यधिक साहित्यिक होने के दोष से मुक्त करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया। इस आयोग ने हाईस्कूल परीक्षा को दो भागों में विभक्त करने का सुझाव दिया-पहले भाग के कोर्स का उद्देश्य छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना हो तथा दूसरे भाग के कोर्स का उद्देश्य छात्रों को व्यवसायिक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए तैयार करना हो। आयोग के इस सुझाव को न तो सरकारी संस्थाओं ने और न ही आमजन ने स्वीकार किया।

3-1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम-

इस अधिनियम से पहले विश्वविद्यालयों की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उन माध्यमिक विद्यालयों के छात्र भी शामिल हो सकते थे जिन्हें अब तक विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त नहीं थी। अब विश्वविद्यालयों को केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को मैट्रिकुलेशन परीक्षा में शामिल करने तथा मान्यता संबंधी नियमों के निर्माण का अधिकार प्राप्त हो गया।

B-माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन व प्रसार काल (1917 से 1947)-

1917 के पश्चात माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन कर उसके प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 1917 से 1947 तक की अवधि में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन, प्रसार व विकास में निम्नलिखित आयोगों, समितियों व प्रतिवेदनो का योगदान रहा है-

1- 1917 का सैडलर आयोग-

सैडलर आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से प्रथक करके इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना की जाए और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न करने हेतु प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाए।

2-1929 की हर्टाग समिति-

इस समिति ने सुझाव दिया कि मैट्रिकुलेशन परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की अधिक संख्या के कारण अपव्यय को रोकने के लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया जाए।

3-193-37 की वुड एबट समिति-

इस समिति ने सुझाव दिया की माध्यमिक शिक्षा का प्रसार देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तथा माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी के अध्ययन पर बल दिया जाए। माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए।

4-1944 का सार्जेंटप्रतिवेदन-

इस प्रतिवेदन में अनेक सुझाव दिए गए इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव इस प्रकार थे- हाईस्कूल की शिक्षा 6 वर्ष की अर्थात 11 से 17 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए होनी चाहिए। हाई स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 14 वर्ष की आयु की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हाई स्कूल दो प्रकार के होने चाहिए पहले साहित्य के स्कूल और दूसरे तकनीकी हाई स्कूल। हाई स्कूल का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय शिक्षा का आधार मात्र न होकर अपने आप में पूर्ण होना चाहिए ताकि इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के पश्चात छात्रों को किसी व्यवसाय को करने की योग्यता प्राप्त हो जाए। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप एवं नवीन आयामों को समझने के लिए हम स्वातंत्र्योत्तर काल में गठित विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाओं का अध्ययन करेंगे जो कि निम्नवत हैं-

1-ताराचंद समिति-

सन 1948 में ताराचंद समिति ने माध्यमिक शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने के लिए बहुत देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया।

2- राधाकृष्णन आयोग 1948-49

यह आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित हुआ। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली की निर्बलतम कड़ी बताते हुए उसमें सुधार लाने पर बल दिया। आयोग के शब्दों में हमारी शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षासबसे निर्बल कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

3-मुदलियार आयोग (1952-53)-

मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित था। इस आयोग ने वर्तमान माध्यमिक शिक्षा को एकमार्गी एवं उद्देश्यहीन बताया।आयोग ने यह मत प्रकट किया कि माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की पृष्ठभूमि मात्र नहीं है बल्कि यह अपने आप में पूर्ण हैं। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को दोष मुक्त करने हेतु दो प्रमुख सुझाव दिए- पहला पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण का और दूसरा-बहुद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का। इसके अनुसार विद्यालय शिक्षा की संरचना और 4+4+3 होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा से पूर्व 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण कक्षा 9 में होना चाहिए और कुल विद्यालय शिक्षा 11 वर्षों की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 5 वर्षीय प्राथमिक और जूनियर बेसिक के बाद में प्रारंभ हो इसमें 3 वर्षीय सीनियर बेसिक तथा 4 वर्षीय हायर सेकेंडरी सम्मिलित हो डिग्री कोर्स 3 वर्षों का हो। पब्लिक स्कूल जारी रहे। सभी नए हायर सेकेंडरी स्कूलों को पर्याप्त सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए।

4-कोठारी आयोग(1964-66)-

1964 में समग्र शिक्षा में सुधार हेतु कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया इस आयोग के अध्यक्ष डॉ दौलत सिंह कोठारी थे और आयोग में 16 सदस्य थे। आयोग ने शिक्षा के नवीन संरचना शिक्षा प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया जिसके फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया एक- माध्यमिक

आठवीं से दसवीं कक्षा तथा दूसरा उच्चतर माध्यमिक अर्थात 11 एवं 12 की कक्षा। कोठारी आयोग की संरचना को स्वीकार करके 10+2 प्रणाली विकसित हुई। सन 1975 में पहली बार दिल्ली के कुछ स्चूलों में इसके अनुसार शिक्षा दी गई। इसमें विद्यालय शिक्षा 11 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। किसी विषय का विशिष्टीकरण दसवीं तक न करके विषयों का विशिष्टीकरण 11वीं कक्षा में किए जाने का सुझाव दिया गया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु नवीन संगठन एवं व्यवसायीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने यह भी व्यक्त किया कि माध्यमिक शिक्षा को लोगों के जीवन की आवश्यकता और आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए इसके अनुसार विद्यालय शिक्षा की कुल अवधि 12 वर्ष होनी चाहिए इसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए विषयों का चुनाव 11वीं कक्षा में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए।

5-नई शिक्षा नीति (1986)-

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है इसी अवस्था पर बच्चों को इतिहास बोध और राष्ट्रीय परिपेक्ष्य सही ढंग से दिया जा सकता है। साथ ही इस अवस्था पर संवैधानिक दायित्व और नागरिकों के अधिकारों से भी उन्हें परिचित हो जाना चाहिए। साथ ही इसमें विशेषकर विज्ञान और वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों में लड़कियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन पर बल होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का पुनर्गठन किया जाएगा और उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी ताकि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके। माध्यमिक स्तर की यथासंभव अधिक से अधिक संस्थाओं में कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चों को कंप्यूटर संबंधी आवश्यक कौशल से सुसज्जित किया जा सके जिसका प्रौद्योगिकी वाले उभरते हुए समय में उपयोग किया जा सके। आधुनिक पाठ्यचर्या के माध्यम से कर्मशीलता और मानवीय तथा मिश्रित संस्कृति के मूल्यों की सही समझ पैदा की जा सकती है। इस स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अथवा माध्यमिक शिक्षा की पुनर्संरचना के माध्यम से व्यवसायीकरण लागू करके आर्थिक विकास के लिए मूल्यवान जनशक्ति जुटाई जा सकती है।

5-प्रस्तावित नई शिक्षा नीति (2019)-

भारत में एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नवीन शिक्षा नीति नहीं अपनाई जा सकी है। 1986 की नई शिक्षा नीति तथा 1992 की संशोधित नई शिक्षा नीति के आधार पर ही भारतवर्ष में शैक्षिक व्यवस्थाएं अद्यतन संशोधनों के साथ संचालित हो रही हैं।

नवीन शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए 31 मई 2019 को डॉ कस्तूरीरंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया। इस प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं-

- प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे को व्यापक करते हुए इसे प्राथमिक-पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है।
- नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत चार चरणों में बांटने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है।
- स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर में भी बदलाव सुझाए गए हैं। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में "राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण" बनाने का सुझाव दिया गया है ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। यह प्राधिकरण विभिन्न स्कूलों की मान्यता तय करेगा।
- नई शिक्षा नीति में रेमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके तहत 10 वर्षीय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु स्कूलों में रेमेडियल कक्षा के लिए 80 मिनट का पीरियड रहेगा। कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह पीरियड नियमित लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। रिमेडियल कक्षाएं त्रैमासिक परीक्षा में डी और ई ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए होंगी और नियमित शिक्षकों द्वारा ली जाएंगी।
- इस शिक्षा नीति में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय स्कूलों जैसी व्यवस्थाएं करने का भी सुझाव है। लड़कियों की शिक्षा बीच में बाधित ना हो इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का भी सुझाव दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति में शिक्षण में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है साथ ही विषय वस्तु के बोझ को कम करने की बात भी नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित है।